

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16 लाइसेन्स ट्र पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

### असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बुधवार, 17 जनवरी, 2024 पौष 27, 1945 शक सम्वत्

> उत्तर प्रदेश शासन नगर विकास अनुभाग-9

संख्या 108/नौ-9-2024-42 ज-2023 लखनऊ, 17 जनवरी, 2024

अधिसूचना

#### सा०प०नि०-10

चूँकि उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) जिसे आगे "उक्त अधिनियम" कहा गया है) की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल जिस उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023 को बनाने का प्रस्ताव करती हैं, उसके सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 540 की उपधारा (2) के अधीन यथा अपेक्षित सरकारी अधिसूचना संख्या 1131/नौ-9-2023-42ज-2023, दिनांक 30 जून, 2023 द्वारा पूर्वोक्त अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से सात दिनों के भीतर आपित्तियाँ और सुझाव आमंत्रित किये जाने के लिए प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, पूर्वोक्त अधिसूचना संख्या 1131/नौ-9-2023-42ज-2023, दिनांक 30 जून, 2023 के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर कार्यालय—ज्ञाप संख्या 1648/नौ-9—2023-42ज-2023, दिनांक 15 सितम्बर, 2023 द्वारा विचार किया गया;

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 174, 207, 207क तथा 227 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश, नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली

उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2023

- 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) (चतुर्थ संशोधन) संक्षिप्त नाम नियमावली, 2023 कही जायेगी। विस्तार और प्राच्या
  - (2) यह उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त नगर निगमों के लिये लागू होगी।
  - (3) यह गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

1166 RPH 2024 (Nagar Vikas-9) Data le

नियम 4क का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश नगर निगम (सम्पत्ति कर) नियमावली, 2000 में नियम 4क के उपनियम (2) की अनुसूची में,-

(एक) नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी क्रम संख्या 6 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात् :--

स्तम्भ-एक

स्तम्भ-दो

विद्यमान प्रविष्टि			एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि			
श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर	
6	माल्स, चार सितारा और उससे ऊपर के होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा भी परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का 6 गुना	6	माल्स, पर्यटन विभाग से अरजिस्ट्रीकृत होटल, पब्स, बार, वासगृह, जहाँ भोजन के साथ मदिरा परोसी जाती है	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का छः गुना	

(दो) नीचे स्तम्भ-1 में दी गयी क्रम संख्या 8 की विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर स्तम्भ-2 में दी गई प्रविष्टियाँ रख दी जायेंगी, अर्थात :--

स्तम्भ-एक

स्तम्भ-दो

विद्यमान प्रविष्टि

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रविष्टि

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की किराए की दर	श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासिक भवन की मासिक किराए की दर
8	औद्योगिक इकाइयाँ, सरकारी अर्द्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय	उपनियम (1) के अधीन नियत दर का तीन गुना	8	औद्योगिक इकाइयाँ, स्टार श्रेणी के होटल एवं रिसार्ट्स एवं पात्र पर्यटन इकाइयां जो उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग से रजिस्ट्रीकृत हों, सरकारी अर्द्ध सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के कार्यालय	अधीन नियत दर

आज्ञा से, अमृत अभिजात, प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 108/IX-9-2024-42J-2023, dated January 17, 2024:

#### No. 108/IX-9-2024-42J-2023

#### Dated Lucknow, January 17, 2024

WHEREAS the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023 which the Governor proposes to make in exercise of the powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (U.P. Act no. 2 of 1959) (hereinafter referred to as the "said Act") read with section 21 of the Uttar Pradesh General Clauses Act, 1904 (U.P. Act no. 1 of 1904) was published, as required under sub-section (2) of section 540 of the said Act, vide Government notification no. 1131/IX-9-2023-42J-2023, dated 30th June, 2023 inviting objections and suggestions in respect thereof within seven days from the date of publication of the aforesaid notification in the Gazette:

AND, WHEREAS, objections and suggestions received in pursuance of the aforesaid notification no. 1131/IX-9-2023-42J-2023, dated 30th June, 2023, were considered vide Office memorandum no. 1648/IX-9-2023-42J-2023, dated 15th September, 2023;

Now, Therefore, in exercise of the powers under sections 174, 207, 207A and 227 of the said Act, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000, namely :-

#### THE UTTAR PRADESH MUNICIPAL CORPORATION (PROPERTY TAX) (FOURTH AMENDMENT) RULES, 2023

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Municipal Corporation Short title, extent (Property Tax) (Fourth Amendment) Rules, 2023.

- (2) They shall be applicable to all Municipal Corporations of the state of Uttar Pradesh.
- (3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Gazette
- 2. In the Uttar Pradesh Municipal Corporation (Property Tax) Rules, 2000 in the Amendment of schedule to sub-rule (2) of rule 4-A:-

(i) for the existing entries at serial no. 6 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

> COLUMN-I Existing entry

COLUMN-II Entry as hereby substituted

Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non- residential building	Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non- residential building
6	Malls, Hotels of four stars and above, pubs, bars, lodging house where wine is served with food	Six times of the rate fixed under sub rule (1)	6	Malls, hotels not registered with Tourism Department; pubs, bars, lodging house where wine is served with food	Six times of the rate fixed under sub-rule (1)

(ii) for the existing entries at serial no. 8 set out in Column-I below, the entries as set out in Column-II shall be substituted, namely :-

COLUMN-I Existing entry			COLUMN-II Entry as hereby substituted			
Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non- residential building	Category	Details of Property	Rate of monthly rent of non- residential building	
8	Industrial units, offices of Govt., Semi Government and public undertakings	Three times of the rate fixed under sub rule (1)	8	Industrial units, star category Hotels and resorts, and eligible tourism units registered with Uttar Pradesh Tourism Department, offices of Government, Semi-Government and public undertakings	Three times of the rate fixed under sub-rule (1)	

By order, AMRIT ABHIJAT, Pramukh Sachiv.

पी०एस० ्रपी०-ए०पी० 1166 राजपत्र-2024-(3209)-599 प्रतियाँ (डी०टी०पी० / ऑफसेट)। प्राचीत 4 साठ नगर विकास—2024—(3210)—100 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/ऑफसेट)।